न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां राज०

पीठासीन अधिकारी

काना राम मीणा,

(RJS)

निर्णय दिनांक :– 28.03.2026

आपराधिक प्रकरण सं. 70/2026

सीआईएस नं. 1000/2016

CNR No. RJBR020010712016

एफआईआर सं. 249/2016 पुलिस थाना कोतवाली बारां जिला बारां (राज.)

अपराध अंतर्गत धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0

PART– I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री हरिओम मीणा अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	01. सुरेश कुमार पुत्र रामप्रसाद उर्फ रामप्रताप निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज.
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह लक्षावत

B

अपराध की दिनांक		27.03.2016
एफआईआर की दिनांक		28.03.2016
आरोप पत्र की दिनांक		06.07.2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक		05.08.2016
साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक		22.02.2017
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		28.03.2026
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि		28.03.2026
दंडादेश (यदि हो तो)	सुनवाई की दिनांक	28.03.2026

C

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त/अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्त/अभियुक्तगण का नाम	प्रथम गिरफ्तारी की दिनांक	प्रथम बार जमानत पर बाहर आने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दण्डादेश या परिवीक्षा आदेश का विवरण	धारा 428 सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में बितायी अवधि
01	सुरेश कुमार	28.04.2016	02.05.2016	332, 353, 504 भा0दं0सं0	दोषसिद्ध	पैरा नंबर 27 पर अंकितानुसार	28.04.2016 से 02.05.2016

PART– II

साक्षियों की सूची– अभियोजन साक्षी/बचाव साक्षी/न्यायालय साक्षी

(A) अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्षी की प्रकृति
PW1	नवल किशोर शर्मा	हालात तफ्तीश
PW2	हरिश शर्मा	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW3	हेमन्त कुमार	ताईद चश्मदीद वाका
PW4	प्रदीप	ताईद चश्मदीद वाका व नक्शा मौका
PW5	उमेश कुमार	ताईद चश्मदीद वाका
PW6	जगदीश प्रसाद यादव	चिकित्सीय साक्षी
PW7	ओमप्रकाश मीणा	परिवादी

(B) बचाव साक्षी

RANK	NAME	साक्षी की प्रकृति (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
-	-	-

(C) न्यायालय साक्षी

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची : अभियोजन प्रदर्श/बचाव प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(A) अभियोजन प्रदर्श

क्र. सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
1	Ex P1 22.02.17 PW1, PW2, PW4, PW7	नक्शा मौका
2	Ex P2 22.02.17 PW1	फर्द गिरफ्तारी
3	Ex P3 18.11.21 PW2, PW7	तहरीरी रिपोर्ट
4	Ex P4 18.11.21 PW2	नियुक्ति आदेश
	Ex P5 24.01.25 PW6	चोट प्रतिवेदन
5	Ex P5 18.11.21 PW2	बकाया वसूली टीम में नियुक्ति आदेश
6	Ex P6, Ex P7 18.02.26 PW7	बकाया बिलों की डिटेल व कनेक्शन काटाने का आदेश
7	Ex P8 18.02.26 PW7	एफआईआर

(B) बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
-	–	–

(C) न्यायालय प्रदर्श:

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या एवं दिनांक मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
	NIL	

(D) सारवान वस्तु एवं मालखाना:

क्र.सं.	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
	NIL		

1. इस प्रकरण में आरोप पत्र थानाअधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली बारां की ओर से जरिए अभियोजन अधिकारी अभियुक्त के विरूद्ध जुर्म धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0 के तहत पेश किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि फरियादी ओमप्रकाश मीणा कानि. अभियंता शहर ।। जयपुर डिस्काम बारां ने दिनांक 28.03.2016 को उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 इस आशय की पेश की है कि दिनांक 27.03.2016 को समय 3 पीएम पर वह अपने कर्मचारियों के साथ बकाया वसूली अभियान के अन्तर्गत रिद्धि–सिद्धि कोलोनी (माथना चोराहे के पास) में श्री सुरेश कुमार पुत्र रामप्रताप वैष्णव के बकाया बिल 23797 रुपये की वसूली हेतू उसके घर पर गये तो उक्त कनेक्शनधारी ने बिल जमा कराने के लिए मना किया एवं जब कर्मचारी कनेक्शन काटने लगे तो उक्त व्यक्ति ने कर्मचारी श्री हरिश चन्द शर्मा से जुते से मारपीट की एवं जब उन्होंने बीच–बचाव किया ते तभी से गाली–गलौच की एवं धमकाया कि मेरे कनेक्शन को काट कर देखो।.....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना कोतवाली बारां पर मुकदमा नं0 249/2016 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्तानुसार उक्त धारा में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को जुर्म धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0 का आरोप पृथक से लिखित रूप में विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. तत्पश्चात साक्ष्य अभियोजन बंद की जाकर बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के लिए गए जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को गलत होना बताया तथा बावजूद अवसर साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

6. बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध करने का तर्क प्रस्तुत किया, जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व उक्त प्रकरण में मुल्जिम को झूठा व रंजिशवंश फंसाया गया है, वक्त घटना परिवादी व मजरूब लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा हो इस बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है। मुल्जिम ने कोई घटना कारित नहीं की है एवं नक्शे मौके में विद्युत को पोल नहीं दिखाया हुआ है इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का तर्क प्रस्तुत किया।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उनके समक्ष विचारणीय बिन्दु इस प्रकार है किः–

''न्यायालय के सामने विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.03.2016 को दिन में लगभग 03.00 बजे बमुकाम रिद्धी–सिद्धी कॉलोनी, माथना चौराहे के पास, बारां में फरियादी ओमप्रकाश मीणा कनिष्ठ अभियंता जो कि लोक सेवक की हैसियत से आपके घर पर बकाया बिल राशि 23,797 की वसूली हेतु आपके घर गए थे तथा राशि जमा नहीं कराने पर कर्मचारी श्री हरीशचंद शर्मा कनेक्शन काटने लगा जो कि अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट कर उपहति कारित कर उन्हें अपने कर्तव्य से भयोपरत किया तथा उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर राजकार्य में बाधा पहुंचाई। यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का दायी है?

8. उभय पक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी0डब्ल्यू–01 नवल किशोर शर्मा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 28.03.2016 को थाना कोतवाली बारां में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन मुकदमा नंबर 249/16 धारा 332, 353, 504 भा.दं.सं. का अनुसंधान उसके सुपुर्द हुआ था। दौराने अनुसंधान बयानात फरियादी ओमप्रकाश, गवाह हरीश शर्मा, प्रदीप यादव, हेमन्त कुमार, रमेश कुमार, देवीलाल के लिए थे। घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मजरूब की एमएलसी प्राप्त शामिल पत्रावली की गई थी। फरियादी का पदस्थापना आदेश व कार्यालय आदेश की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। मुल्जिम सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया था जिसकी फर्द प्रदर्श पी 02 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है और सी से डी मुल्जिम के हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान मुल्जिम सुरेश के विरूद्ध धारा 332, 353 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु एसएचओ साहब को दी थी।

10. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि उक्त प्रकरण में ओमप्रकाश मीणा, प्रदीप यादव, हेमन्त कुमार, उमेश कुमार, देवीलाल आदि गवाहों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। सही है कि घटनास्थल के पास गोविन्द, महावीर व दिनेश के मान है। सही है कि इन लोगों के बयान उसके द्वारा नहीं लिए गए थे। सही है कि जिनके बयान उसके द्वारा लिए गए थ्ज्ञे वह एक ही विभाग के कर्मचारी है। उसकी जानकारी में यह नहीं है कि मुल्जिम सुरेश ने फरियादी ओमप्रकाश मीणा के विरूद्ध घर में घुसने की रिपोर्ट करवाई हो।

11. गवाह पी0डब्ल्यू–02 हरिश शर्मा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.03.2016 को वह तकनीक सहायक के पद पर जेवीएनएल बारां में पदस्थापित

था। उस दिन वे जाप्ते के साथ बिल राशि की बकाया वसूली के कार्य हेतु कार्यालय से रवाना होकर माथना रोड, रिद्धी सिद्धी के मकान पर पहुँचे। उस पर करीब 23,797 रूपये बकाया चल रहे थे। जेईन साहब ओमप्रकाश मीणा द्वारा सुरेश से बकाया बिल राशि जमा करवाने के लिए कहा तो सुरेश ने मना किया फिर उसने जेईन साहब के आदेश पर उसका कनेक्शन काटना चाहा तो उसने उसके साथ जूते की फेंक कर मारी व गाली गलौज की और उसे धमकी दी कि अगर तुम्हारी हिम्मत हो तो कनेक्शन काट कर दिखाआ। फिर उसके साथियों ने उसका बीच बचाव किया। सुरेश द्वारा गाली गलौज करने से हमारे राज कार्य में बाधा हुई और निगम का नुकसान हुआ। फिर उसने उक्त घ ाटना की रिपोर्ट लिखकर जेईन साहब को पेश की। जिन्होनें उक्त रिपोर्ट को थाना कोतवाली में भिजवाई थी। तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मोका प्रदर्श पी 1 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसका नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 4 है। उसके बकाया वसूली टीम में नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 5 है। जो शामिल पत्रावली है

12. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वह सुरेशचंद को व्यक्तिगत नहीं जानता है। यह कहना सही है कि कनेक्शन काटने जाते है तो कहासूनी हो जाती है। उसके जूता फेंककर मारा था। यह कहना गलत है कि सुरेश उनके बकायादार ना हो और उन्होंने उसे झूठा फंसाया हो। वे जिस आदेश से सुरेश के घ ार कनेक्शन काटने गए थे वह पत्रावली में उपलब्ध है। वे सरकारी वाहन से गए थे। सरकारी वाहन से संबंधित इंद्राज अगर लॉगबुक में हो तो इसका उसे पता नहीं है।

13. गवाह पी0डब्ल्यू–03 हेमन्त कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह 2016 में बिजली विभाग सब्जी मंडी कार्यालय में एईएन ए–प्रथम के अधीन कार्यरत था। उस दिन जेईएन ओमप्रकाश के साथ में वह, प्रदीप, हरीश और उमेश वसूली के लिये रिद्धी सिद्धी कॉलोनी माथना रोड पर गये थे। वे वहां पर सुरेश जी वैष्णव के घर पर गये तो वहां पर उन्होंने हरीश के साथ में गाली गलोच करके झगडा शुरू कर दिया व सुरेश ने जूता खोलकर हरीश के उपर फेंका। फिर उन्होंने बीच बचाव किया। सुरेश कुमार ने वसूली का पैसा नहीं देकर वे सबसे झगडा किया। फिर वे सब वापिस अपने कार्यालय आ गये। फिर वहां से आने के बाद ओमप्रकाश जी ने रिपोर्ट करवाई थी।

14. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि उसे यह पता नहीं है कि वे जिस मकान पर गये थे वह मकान सुरेश का हो। वह, ओमप्रकाश जी, प्रदीप, हरीश और उमेश वहां पर गये थे। आज उसे जानकारी नहीं है कि

वे उस दौरान किस किस के मकान में गये थे। वे सबसे पहले सुरेश के मकान पर ही गये थे। वे उस दिन कितनें मकानों में गये थे यह उसे याद नहीं है। वे कितने बजे गये थे समय की आज उसे जानकारी नहीं है। यह कहना गलत है कि सुरेश के मकान पर ताला लग रहा हो। मकान के अंदर कोई नहीं गया। वहां पर सुरेश जी व उसकी पत्नी मिली थी। वह पहले कभी सुरेश जी नहीं मिला था। उनकी पत्नी से उसकी कोई बात नहीं हुयी। मकान के अंदर कौन गया था इसकी उसे जानकारी नहीं है। जब वे उनके मकान पर गये तब सुरेश मकान के बाहर था। सुरेश उनसे गाली गलोच करने लग गया। आस पास के पडोसी वहां थे या नहीं उसे इसकी जानकारी नहीं है। वहां मौके पर अन्य कोई नहीं आया था। उसे जानकारी नहीं है कि सुरेश ने बिल ऑफिस में जमा करवा दिया हो। सुरेश ने एईएन साहब से कहा हो कि उसने बिल जमा करवा दिया है तो इसकी उसे जानकारी नहीं है क्योंकि वह थोडा दूर खडा था इनके बीच क्या बात हुयी उसे जानकारी नहीं है।

15. गवाह पी0डब्ल्यू–04 प्रदीप ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह 2016 में बिजली विभाग सब्जी मंडी कार्यालय में एईएन ए–प्रथम के अधीन कार्यरत था। उस दिन जेईएन ओमप्रकाश के साथ में वह, हेमंत, हरीश और उमेश वसूली के लिये रिद्धी सिद्धी कॉलोनी माथना रोड पर गये थे। वे वहां पर सुरेश जी वैष्णव के घर पर गये तो वहां पर उन्होने हरीश के साथ में गाली गलोच करके झगडा शुरू कर दिया व सुरेश ने जूता खोलकर हरीश के ऊपर फेंका। फिर उन्होंने बीच बचाव किया। सुरेश कुमार ने वसूली का पैसा नहीं देकर वे सबसे झगडा किया। फिर वे सब वापिस अपने कार्यालय आ गये। फिर वहां से आने के बाद ओमप्रकाश जी ने रिपोर्ट करवाई थी। बाद में पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया था जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

16. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि वे 10 बजे ऑफिस से निकले थे। वे मौके पर कितने बजे पहुंचे थे समय का उसे आज ध्यान नहीं है। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि यह सुरेश का मकान है। उसे यह पता नहीं है कि उस कॉलोनी में ओर कितने लोग थे जिनसे वसूली राशि लेनी थी। यह कहना गलत है कि सुरेश के मकान पर ताला लग रहा हो बल्कि सुरेश वहीं पर था। उसकी पत्नी भी वहीं पर थी। मकान के अंदर कोई नहीं गया। सुरेश मकान के बाहर ही मिल गया था। सुरेश से बकाया पैसे जमा कराने की बात हुयी थी। उसकी सुरेश से कोई बात नहीं हुयी थी। सुरेश की बात ओमप्रकाश जी से हुयी थी। दोनों के बीच में क्या क्या

बात हुयी यह उसे पता नहीं है क्योंकि वह पांच सात फिट दुर खडा था। सुरेश ने ऑफिस में बिल जमा कराया हो तो उसे पता नहीं है क्योंकि उनकेक पास तो सुरेश का नाम बकाया लिस्ट में था। बकायादार व्यक्तियों की लिस्ट पत्रावली में नहीं हो तो उसे जानकारी नहीं है। अज खुद कहा कि वह लिस्ट तो जेईएन साहब के पास रहती है। यह कहना गलत है कि ओमप्रकाश जी ने सुरेश के साथ में गाली गलोच की हो उसकी रिपोर्ट सुरेश ने दर्ज करवाई हो। घटना की तारीख व महिना उसे पता नहीं है।

17. गवाह पी0डब्ल्यू–05 उमेश कुमार ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.3.2016 को वह जेवीवीएनएल कार्यालय बारां में हेल्पर के पद पर पदस्थापित था। उस दिन ओमप्रकाश मीणा जेइएन साहब के साथ में वह, देवीलाल, हरीश, पद्रीप यादव व हेमंत मय जीप कस्बा बारां में लाइट के बकाया बिलों की राशि वसूलने गये थे। करीब शाम के 3 बजे सुरेश कुमार वैष्णव के घर गये जहां पर सुरेश को जेईएन साहब ने बकाया राशि जमा कराने के लिए कहा जिस पर सुरेश गालियां देने लग गया और झगडा करने लग गया। जेइएन साहब ने समझाया लेकिन वह नही समझा। इस पर हरीश को कनेक्शन काटने के लिए कहा तो सुरेश ने हरीश के जूते से मारी और उससे गाली गलौच की और पूरे जाप्ते के साथ भी गाली गलौच की व राजकार्य में बाधा डाली।

18. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि आज उसे यह याद नहीं है कि विद्युत बिल की बकाया वसूली के लिए जाते हैं तो जाने का इन्द्राज करवाते है या नहीं। उसे आज यह याद नहीं है कि सुरेश के बकाया बिल की कॉपी पत्रावली में है कि नहीं है।

19. गवाह पी0डब्ल्यू–06 जगदीश प्रसाद यादव ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 29.03.2016 को राज. चिकित्सालय बारां में मेडिकल ज्यूरिष्ठ के पद पर तैनात था उस दिन उसने थानाधिकारी बारां कोतवाली के प्रतिवेदन पर मजरूब हरिश शर्मा पुत्र अनिल शर्मा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट नं0 1 सीने के बांयी ओर दर्द होन बता रहा था। लेकिन कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी उसके हस्ता० है तथा सी से डी मजरूब का पहचान चिन्ह है।

20. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि मरीज को एसीडीटी की शिकायत है तो वह पेट व सीने में दर्द की शिकायत कर सकता है।

21. गवाह पी0डब्ल्यू–07 ओमप्रकाश मीणा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2016 को जेवीएनएल कार्यालय बारां में जेईएन के पद पर कार्यरत था। उस दिन विभागीय आदेशों की पालना में विद्युत बिलो के बकाया वसूली हेतु वह खुद उसकी टीम के सदस्य हरीश, हेमन्त, प्रदीप, देवीलाल के साथ सरकारी जीप से वसूली करने हेतु निकले थे। सुरेश का करीब 24000 रूपये बकाया थे। जिनके घर पर वे वसूली के लिए गये थे। सुरेश ने बकाया वसूली राशि देने से मना कर दिया। फिर हमने उसके विद्युत कनेक्शन काटने का प्रयास किया तो सुरेश ने कनेक्शन नहीं काटने दिया। हरीश शर्मा को उसने विद्युत पोल से कनेक्शन काटने को कहा तो सुरेश ने उसके जुते खोल कर हरीश के जुता फेंक कर मारा। उन्होंने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी सुरेश गाली गलौच करने लग गया और कहा कि यहां से चले जाओ नहीं तो तुम्हें नौकरी करना सीखा दूंगा। सुरेश ने उन्हें कनेक्शन नहीं काटने दिया और वे टीम के साथ कार्यालय वापस आ गये। फिर उसने पुलिस थाना कोतवाली में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। जो प्रदर्श पी 03 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। तहरीर रिपोर्ट के साथ उसने सुरेश के बकाया बिलों की डिटेल व कनेक्शन काटने के आदेश लगाये थे। जो प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07 है। एफआईआर प्रदर्श पी 08 है। जिन सभी पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस वालों ने घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था। जो प्रदर्श पी 01 है। जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

22. उक्त गवाह ने अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका उसके सामने बनाया था। नक्शा मौका जहां बनाया वहां उक्त मकान रास्ते पर कॉर्नर का है इसलिए वहां पर नक्शा मौका बनाया है। पोल रास्ते में खड़ा हुआ था। उसी पोल से मुलजिम के घर का विद्युत का तार जा रहा था। यह सही है कि एक्स स्थान पर घटना होना सही अंकित है लेकिन नक्शे मौके में पोल लिखा हुआ नहीं है। यह कहना गलत है कि वे मकान में घुसे हो। यह सही है कि नक्शे मौके में सुरेश के मकान में मीटर कहां लगा हुआ था ऐसा लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसके मकान के बाहर मीटर लगा हुआ था। लाईन मैन हरीश ने उसे बताया था कि यह मकान सुरेश का है क्योंकि हरीश भी उनके साथ ही था तथा खाता संख्या से भी वे मीटर का मिलान कर लेते है। कनेक्शन काटने के लिए मकान के अंदर जाने की जरूरत नहीं होती पोल पर तार होता है जहां से विद्युत कनेक्शन काट दिया जाता है। सुरेश मौके पर मौजूद था। आस पडोस के काफी लोग इकट्ठे हो गये थे लेकिन नाम से वह परिचित नहीं है। यह कहना गलत

है कि सुरेश के घरवालों ने यह कहा हो कि सुरेश ने बिल जमा करवा दिया है वो आयेगा तब बता देगा।

23. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिरा स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में परिवादी ओमप्रकाश के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श–पी 03 इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनांक 27.03.2016 को समय 3 बजे के आसपास वह अपने कर्मचारियों के साथ बकाया वसूली अभियान के अंतर्गत रिद्धी सिद्धी कॉलोनी माथना चौराहे के पास में सुरेश कुमार के बकाया बिल 23,797 रूपये की वसूली हेतु घर पर गए तो उसने बिल राशि जमा करने से मना किया व कनेक्शन काटने लगे तो मुलजिम द्वारा हरीश शर्मा से जूते से मारपीट की व उनके साथ गाली–गलौच करने व धमकाने के बाबत् पेश की है जिस संबंध में परिवादी ओमप्रकाश पी.डब्ल्यू 07 के रूप मे न्यायालय में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2016 को जेवीएनएल कार्यालय बारां में जेईएन के पद पर कार्यरत होते हुए, उस दिन विभागीय आदेशों की पालना में विद्युत बिलों के बकाया वसूली हेतु वह अपनी टीम के सदस्य हरीश, हेमन्त, प्रदीप व देवीलाल के साथ सरकारी जीप से अभियुक्त सुरेश के घर वसूली करने के लिए जाने, अभियुक्त सुरेश का करीब 24,000 रूपए विद्युत बिल बकाया होने व अभियुक्त ने बकाया वसूली राशि देने से मना कर देने, फिर गवाह व उसकी टीम ने विद्युत कनेक्शन काटने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने कनेक्शन नहीं काटने देने व अभियुक्त ने अपने जुते खोलकर मजरूब हरीश के जूता फैंककर मारने तथा जब उन्होंने बीच–बचाव किया तो उनके साथ भी अभियुक्त द्वारा गाली–गलौच करने लग जाने और बिजली का कनेक्शन काटने नहीं देने तथा घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाने जो प्रदर्श पी 03 होने व बकाया बिलों की डिटेल व कनेक्शन काटने के आदेश प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 08 व नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 होने जिन पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह ने जिरह में कथन किया है कि नक्शा मौका उसके सामने बनाने एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 जहां बनाया वहां अभियुक्त का मकान रास्ते के कोनर का होने व पोल रास्ते में खडा हुआ होने एवं उसी पोल से मुल्जिम के घर का विद्युत का तार जा रहा होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए उक्त गवाह ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 में एक्स स्थान पर घटना होना सही अंकित होने परंतु नक्शे मौके में पोल लिखा हुआ नहीं होने एवं इसके साथ ही गवाह ने यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 में सुरेश के मकान में मीटर कहां लगा

हुआ था ऐसा लिखा हुआ नहीं होने लेकिन उसके मकान के बाहर मीटर लगा हुआ होने व लाईनमेन हरीश ने उसे बताया कि वह मकान सुरेश का होने तथा खाता संख्या से भी मीटर का मिलान कर लेने व अभियुक्त सुरेश मौके पर उपस्थित होने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में परिवादी ओमप्रकाश के द्वारा अपने बयानों में घटना की रिपोर्ट प्रदर्श–पी 03 की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है साथ ही उक्त गवाह द्वारा मुलजिम के नाम की बकाया राशि व बिल की प्रति प्रदर्श–पी 06 व 07 के रूप मे स्वयं के बयानों मे प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है एवं नक्शा मौका प्रदर्श–पी 01 उसके सामने बनाने के बाबत् साक्ष्य देते हुए घटना व नक्शा मौका की ताईद पूर्ण रूप से किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू–02 हरिश शर्मा जो प्रकरण में मजरूब है के बयानों का अवलोकन किया गया तो गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 27.03.2016 को वह तकनीक सहायक के पद पर जेवीएनएल बारां में पदस्थिापित होने व उस दिन वह जाप्ते के साथ बिजली बिल राशि की बकाया वसूली के कार्य हेतु कार्यालय से रवाना होकर अभियुक्त सुरेश से बकाया बिल राशि 23,797 रूपए वसूली हेतु उसके घर पहुचने व अभियुक्त ने मना करने और जब उसने जेईन साहब के आदेश पर उसका कनेक्शन काटना चाहा तो उसने उक्त गवाह के साथ जूते फैंककर मारने व गाली–गलौच करते हुए और उसे धमकी देने व अभियुक्त द्वारा गाली–गलौच करने से उसके राजकार्य में बाधा उत्पन्न होने और निगम का नुकसान होने व तत्पश्चात् उसने उक्त घटना की रिपोर्ट लिखकर जेईन साहब को पेश करने जिन्होंने उक्त रिपोर्ट को थाना कोतवाली में भिजवाने जो प्रदर्श पी 03 है तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 व उसकी नियुक्ति का आदेश प्रदर्श पी 04 एवं उसके बकाया वसूली टीम में नियुक्ति आदेश प्रदर्श पी 05 होते हुए उक्त गवाह द्वारा दौराने प्रतिपरीक्षण में गवाह ने सशपथ कथन किया है कि वह अभियुक्त को व्यक्तिगत नहीं जानने व कनेक्शन काटने जाते है तो कहासुनी हो जाने एवं उस पर जूता फैंककर मारने के बाबत् साक्ष्य दी है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा भी अपने बयानों में कनेक्शन काटते समय मुलजिम द्वारा जूता फेंककर उस पर मारने व गाली–गलौच करते हुए जाब्ते को धमकाने के बाबत् साक्ष्य अपने बयानों में दिया जाना प्रकट होता है तथा उक्त गवाह द्वारा स्वयं का नियुक्ति आदेश प्रदर्श–पी 04 व बकाया वसूली टीम ने नियुक्ति आदेश प्रदर्श–पी 05 को साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 का परिशीलन करने से यह दर्शित होता है कि नक्शा मौका में अभियुक्त सुरेश का मकान दर्शाया गया होना प्रकट होता है तथा एक्स स्थान पर घटना होने का अंकन किया

जाना भी प्रकट होता है एवं नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 में पोल जिससे मुल्जिम के घर का विद्युत का तार जा रहा है वह लिखा हुआ नहीं है परंतु उसको नक्शे मौके में दर्शाया गया होना साक्ष्य व दस्तावेज से प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श–पी 01 की ताईद गवाह हरीश व प्रदीप के बयानों से होना प्रकट होती है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाहान हेमन्त कुमार प्रदर्श पी 03 व प्रदीप पी.डब्ल्यू–04 के न्यायालय के समक्ष दिए सशपथ कथनों का अवलोकन किया गया उक्त गवाहान ने अपने–अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि वह 2016 में बिजली विभाग सब्जी मंडी कार्यालय में एईएन ए–प्रथम के अधीन कार्यरत होने व उस दिन वे जेईएन ओमप्रकाश तथा प्रदीप, हरीश व उमेश के साथ वसूली के लिए रिद्धी सिद्धी कॉलोनी माथना रोड पर जाने व वहां वे अभियुक्त के घर वसूली करने गए तो उसने हरिश के साथ गाली–गलौच करके झगडा शुरू कर देने व जूता खोलकर हरिश के ऊपर फैंकने व अभियुक्त ने वसूली का पैसा नहीं देकर उन सब से झगडा करने के बाबत् साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है तथा गवाह द्वारा अपने–अपने बयानों में मुलजिम द्वारा ही घटना कारित किये जाने बाबत् साक्ष्य दिया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार अन्य चश्मदीद गवाह उमेश कुमार पी.डब्ल्यू–05 के रूप में परीक्षित होते हुए उक्त गवाह के द्वारा भी अन्य गवाहान के कथनों की ताईद करते हुए घ ाटना की पुष्टि अपने बयानों में किया जाना प्रकट होता है तथा गवाह पी.डब्ल्यू–06 जगदीश प्रसाद यादव के सशपथ कथनों का अवलोकन किया गया जो हस्तगत प्रकरण में चिकित्सीय साक्षी है। उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि उन्होंने मजरूब हरिश के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयाना करते हुए चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 05 तैयार करने जिसके अनुसार चोट संख्या 01 सीने के बांई ओर दर्द होना बताने लेकिन कोई जाहिरा चोट नजर नहीं आने के बाबत् साक्ष्य दी है। इसी प्रकार प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू–01 नवल किशोर के द्वारा गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, नक्शा मौका प्रदर्श पी 01 व फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 02 पर उसके हस्ताक्षर होने के बाबत् साक्ष्य देते हुए मुल्जिम के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानने के बाबत् साक्ष्य पत्रावली पर दिया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में परिवादी ओमप्रकाश व उसकी टीम वक्त घटना लोक सेवक के रूप में होते हुए लोक कर्तव्यों का निष्पादन किया जाने व मुलजिम द्वारा लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अवरोध कारित करते हुए गाली–गलौच कर हरीश पर जूता फेंककर धमकाते हुए उक्त अपराध कारित किया जाना पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रथम दृष्टया प्रकट होता है जिस संबंध में हरीश जो कि मजरूब है उसके नियुक्ति आदेश प्रदर्श–पी 04 व 05 गवाह हरीश द्वारा स्वयं के

बयानों में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है तथा उक्त दस्तावेजात का खंडन मुलजिम की ओर से पत्रावली पर नहीं किया जाना प्रकट होता है एवं मुलजिम के घर का कनेक्शन काटने का आदेश प्रदर्श–पी 06 व बकाया बिल की राशि का बिल प्रदर्श–पी 07 गवाह ओमप्रकाश द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है तथा उक्त दस्तावेजात के संबंध में मुलजिम की ओर से गवाह ओमप्रकाश के बयानों मे किसी भी प्रकार से कोई खंडन नहीं किया जाना प्रकट होता है तथा नक्शा मौका प्रदर्श–पी 01 की ताईद गवाह हरीश, प्रदीप व ओमप्रकाश के बयानों से होना प्रकट होती है। इसी प्रकार हरीश का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श–पी 05 गवाह जगदीश प्रसाद यादव के द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया जाना प्रकट होता है तथा गवाह हरीश, हेमंत, प्रदीप, उमेश व ओमप्रकाश के द्वारा अपने–अपने बयानों में एक स्वर में यह साक्ष्य दी है कि मुलजिम द्वारा बकाया बिल की राशि जमा नहीं करवाने पर विद्युत कनेक्शन काटते समय उन्हें धमकाने व गाली–गलौच कर हरीश के उपर जूता फेंकने व राजकार्य में बाधा डालने के बाबत् साक्ष्य पूर्ण रूप से दिया जाना प्रकट होता है जिस संबंध में कोई खंडन मुलजिम की ओर से पत्रावली पर नहीं होना प्रकट होता है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 04 एवं प्रदर्श पी 05 का अवलोकन किया जावे तो उक्त दस्तावेज मजरूब हरिश कुमार का तकनीकी सहायक के पद की नियुक्ति का आदेश प्रदर्श पी 04 होते हुए मजरूब का इस संबंध में कार्यालय आदेश प्रदर्श पी 05 होने एवं जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मजरूब हरिश वक्त घटना एक लोक सेवक के रूप में पदस्थापित रहा है एवं अभियुक्त के बकाया बिलों की डिटेल व कनेक्शन काटने के आदेश प्रदर्श पी 06 व प्रदर्श पी 07 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त सुरेश कुमार का बिजली बिल एकाउंट नंबर 2371–0273 के 23,797 रूपए बकाया है जिसकी वसूली हेतु मजरूब हरिश, परिवादी ओमप्रकाश व अन्य टीम के सदस्य अभियुक्त के घर पर गए व मुलजिम द्वारा उन्हें धमकाते हुए गाली–गलौच कर जूता फेंककर लोक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान लोक सेवक के रूप में कार्य करते समय अवरोध व क्षति कारित कर बाधा पहुंचा कर उक्त अपराध कारित किया जाना पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य सामग्री के उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.03.2016 को दिन में लगभग 03.00 बजे बमुकाम रिद्धी–सिद्धी कॉलोनी, माथना चौराहे के पास, बारां में फरियादी ओमप्रकाश मीणा कनिष्ठ अभियंता जो कि लोक सेवक की हैसियत से मुलजिम के घर पर बकाया बिल राशि 23,797 की वसूली हेतु जाने तथा राशि जमा नहीं

कराने पर कर्मचारी श्री हरीशचंद शर्मा कनेक्शन काटने लगा जो कि अपने कर्तव्य का पालन करते समय उसके व जाब्ते के साथ गाली–गलौच करते हुए मारपीट कर धमकाते हुए उपहति कारित कर उन्हें अपने कर्तव्य से भयोपरत कर उन पर आपराधिक बल का प्रयोग कर राजकार्य में बाधा पहुंचाते हुए उक्त अपराध कारित किया जाना साक्ष्य से प्रकट होता है। इस कारण अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

24. अतः अभियुक्त **सुरेश कुमार** पुत्र रामप्रसाद उर्फ रामप्रताप निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को आरोपित अपराध धारा 332, 353, 504 भा0दं0सं0 के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है एवं मुलजिम के पूर्व में प्रस्तुत नियमित जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

सजा के बिन्दु पर सुनवायी :–

25. दण्ड के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त को सुना गया। दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त लंबे समय से अन्वीक्षा भुगत रहा हैं। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिये जाने का निवेदन किया है। इसका विरोध करते हुए विद्वान् अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

26. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया, पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से मुलजिम द्वारा परिवादी व जाब्ते के साथ गाली–गलौच कर धमकाते हुए हरीश पर जूता फेंककर राजकार्य में बाधा कारित करते हुए उक्त अपराध कारित किये जाने का आरोप है। इस कारण अभियुक्त को आरोपित अपराधों में परिवीक्षा का लाभ न दिया जाकर कारावास से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:: दण्डादेश ::–

27. अतः अभियुक्त **सुरेश कुमार** पुत्र रामप्रसाद उर्फ रामप्रताप निवासी रिद्धि सिद्धि कॉलोनी बारां थाना कोतवाली बारां जिला बारां राज. को आरोपित अपराध धारा

332, 353, 504 भारतीय दंड संहिता के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर निम्न प्रकार के कारावास से दंडादिष्ट किया जाता हैः–

धारा 332 भा.दं.सं. के तहत 02 साल का साधारण कारावास एवं 3,000/–रूपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारवास पृथक से भुगताया जावे।

धारा 353 भा.दं.सं. के तहत 01 साल का साधारण कारावास एवं 3,000/–रूपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 03 माह का साधारण कारवास पृथक से भुगताया जावे।

धारा 504 भा.दं.सं. के तहत 01 साल का साधारण कारावास एवं 2,000/–रूपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त को 02 माह का साधारण कारवास पृथक से भुगताया जावे।

28. अभियुक्त की उपराक्त सजायें साथ–साथ चलेगी। अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा व न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मूल सजा में से मुजरा होकर कम हो। निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे। अभियुक्त का सजा वारंट बनाया जावे।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

29. निर्णय आज दिनांक 28.03.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(काना राम मीणा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जिला बारां (राज0)

NIKITA CHOUDHARY

Steno Gr. lll
"Authenticate Document"
Digitally signed by NIKITA CHOUDHARY
Date: 2026.03.28 16:56:27 +0530